तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज किशनलाल वगैरह बनाम हरिया उर्फ हरूराम वगैरह, मुकदमा संख्याः–25 / 2024	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
23.06.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम मौजा चौरा के खेत खाता संख्या 510 के खसरा संख्या 572 रकबा 1.84 हैक्टेयर, खाता संख्या 592 के खसरा नंबर 2523 / 571 रकबा 2.20 हैक्टेयर की आराजी राजस्व रेकर्ड में हरिया उर्फ हरूराम के नाम से दर्जसुदा की आई हुई है जो पुराने खसरा नंबर 331 रकबा 38 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 333 रकबा 41 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 334 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 335 रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा से नवसृजित हुए है। वक्त प्रथम सेटलमेंट के समय सरदारा जी निर्वसीयती फौत हो गए थे जिस कारण उक्त आराजी पुश्तैनी आराजी के रूप में अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम दर्ज हुई थी। उक्त आराजी हम वादीगण के पिता हरिया ने हमारी पुश्तैनी आराजी से अदला बदली कर अपने नाम करवाई थी। इस प्रकार उक्त संपूर्ण आराजी हमारी पुश्तैनी आराजी हुई आई हुई है। इसी प्रकार मौजा भादरूणा के खाता संख्या 199 के खसरा नंबर 1145 / 1918 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खाता संख्या 467 के खसरा नंबर 1145 रकबा 1.96 हैक्टेयर में 1 / 4 हिस्सा हरिया पुत्र सरदारा के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्जसुदा आया हुआ है। उक्त आराजी हम वादीगण के पिता हरिया ने हमारी पुश्तैनी आराजी से अदला बदली कर अपने नाम करवाई थी, इस प्रकार उक्त संपूर्ण आराजी हमारी पुश्तैनी आराजी हुई है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 सभी हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। उक्त संपूर्ण खसरा नंबरान की आराजी पुश्तैनी एवं पैतृक संपति होना प्रमाणित है। उपरोक्त खसरा नंबरान की आराजी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण के नाम से होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 अनजबी व्यक्तियों को विधि विरूद्व रूप से बैचान कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू है जिस कारण हम प्रार्थीगणों के पुश्तैनी अधिकार खतरे में पड़ गये है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाकर रोका जाना न्याय हित मे अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगणों के विरूद्व जारी फरमावें की ताफैसला [illegible] सरहद मौजा चौरा पटवार हल्का चौरा के खेत [illegible] 510 के खेत खसरा नंबर 572 रकबा [illegible] 592 के खेत खसरा नंबर 2523 / 571 रकबा 2.20 हैक्टेयर [illegible] प्रकार मौजा भादरूणा पटवार हल्का चौरा के खाता संख्या [illegible] के खसरा नंबर 1145 / 1918 रकबा 0.80 हैक्टेयर व इसी प्रकार खाता संख्या 467 के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:27:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible] सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नंबर 1145 रकबा 1.96 हैक्टेयर की हमारी पुश्तैनी आराजी को अप्रार्थीगण किसी तीसरे पक्ष को बैचान, रहन, हस्तान्तरण नहीं करें तथा न किसी अन्य से करावे एवं न ही उक्त वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी में किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का नव निर्माण कार्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति, मजदूर, ठेकेदार एवं एजेन्ट से करावें एवं प्रार्थी को अपने हिस्स्से की आराजी में से न तो अप्रार्थीगण स्वयं न ही किसी अन्य द्वारा बेदखल करें। मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थीगण संख्या 11 उप पंजीयक चितलवाना के समक्ष पैश होने वाले किसी रचनात्मक दस्तावेजात् को पंजीयन नहीं करे एवं न ही नामान्तरकरण स्वीकृत करे तथा अप्रार्थीगण 13 सहायक अभियन्ता जोधपुर विधुत वितरण लिमिटेड भादरूणा को हम प्रार्थीगण के बेरे की विधुत कनेक्शन नहीं काटने हेतु पाबन्द फरमावें।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा चौरा के खसरा नंबर 272, 2523/571 मौजा भादरूणा के खसरा नंबर 1145, 1145/1918 में अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar (RAS)
Date: 2025.06.26 15:21:04 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर